न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2017

अपीलान्ट		बनाम	रेस्पोडेन्ट :–	
1	सकुदान पुत्र जगदान जाति चारण निवासी मोरवाड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही	1	विरमाराम पुत्र नेथीजी	
		2	मकनाराम पुत्र नेथीजी	
		3	हमीरा पुत्र नेथीजी	
2	रडमलदान पुत्र पाबूदान जाति चारण निवासी मोरवाड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही	4	श्रीमती खेतु बेवा नेथीजी जातिगण रेबारी निवासीगण मोरवाड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री नगेन्द्र कुमार मेडतीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 6.11.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा पारित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम मोरवाड़ा के खसरा नम्बर 50 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 49, जो कि अपीलाण्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है, में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया, वह नोटिस अपीलाण्ट से विधिवत तामील ही नहीं हुआ। जिस भूमि से रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते का अनुतोष चाहा है, वह भूमि अपीलाण्ट्स की सह खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट संख्या 2 को पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा न ही अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है, वह अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त जैर अपील निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है, जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पक्षकार लोक अदालत कैम्प में उपस्थित ही नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें दर्शित तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज़ योग्य है। अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट को मौके पर रास्ता उपलब्ध करवा दिया था, इस कारण उन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। रिडमलदान के हिस्से की भूमि तक तो मौके पर रास्ता उपलब्ध था, आगे सकुदान की भूमि में रास्ता बन्द किया गया था। जहां तक तामील का प्रश्न है, तो अपीलाण्ट द्वारा तामील से गुरेज करने के कारण अपीलाण्ट के नाम जारी सम्मन/नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। उक्त तामील को सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के चरण संख्या 8 में जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 15.11.2016 को होना जाहिर किया तथा हस्तगत अपील दिनांक 20.11.2017 को प्रसतुत की गई है, जो निर्णय की जानकारी होने के एक वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गई है। हालांकि अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब अवश्य हुआ है, किन्तु हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जिससे पक्षकारान् के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। इस दृष्टिकोण से उदार रूख अपनाते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अब गुणावगुण पर प्रकरण का परीक्षण करने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसके अनुसार प्रथम बिन्दु यह प्रकट होता है कि क्या अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस जारी किया गया था, वह विधिवत तामील की श्रेणी में शुमार होता है अथवा नहीं ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु नोटिस तामील की प्रक्रिया को उद्वरित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अपीलाण्ट को जारी किया गया है, वह नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधि अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1905 के आदेश 5 नियम 17 से 20 में जो प्रक्रिया विहित है, उसका उद्धरण इस प्रकार है –

आदेश 5 नियम 17 – जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया –– जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।

आदेश 5 नियम 18 – तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन –– तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में, जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है, उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था, तो उसका नाम और पता कथित करने वाला विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा।

आदेश 5 नियम 19 – तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा –– जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

आदेश 5 नियम 20 – प्रतिस्थापित तामील – (1) जहॉ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिये कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर तामील न होने पाये, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नही की जा सकती है, वहॉ न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई गृह हो) तो उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी का अन्तिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभा के लिये स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगा कर या ऐसी अन्य रीति से, जो न्यायालय ठीक समझे, की जाए।" हस्तगत प्रकरण में इस प्रक्रिया का पूर्ण अभाव सिद्ध हुआ है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की जो तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह विधि अनुसार उचित नहीं है। जिसे उचित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, वह विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार पक्षकारान् की उपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जो कि हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार रेवदर द्वारा अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में खसरा नम्बर 49 की दक्षिणी माठ के किनारे किनारे पगडण्डी होना जाहिर किया तथा बिन्दु संख्या 7 में यह अंकित किया कि खरसा नम्बर 49 की दक्षिणी माठ पर बिजली की डी0पी0 लगी हुई है। इस प्रकार दोनो ही तथ्य विरोधाभाषी है। यदि जैर अपील विवादित आराजी, जिस से रास्ता चाहा गया है, उस पर विद्युत की डी0पी0 लगी गई है, तो उक्त भूमि से रास्ता किस आधार पर दिया गया। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता पर भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा पारित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही